

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1826 /2020 दिनांक 07.10.2020

श्री हनुमान सहाय जाट (RJ0640), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी को दिनांक 23.07.2020 से 24.07.2020 तक 02 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) दिनांक 25.07.2020 से 26.07.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री जाट की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

07/10/2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/08/2011/4541

दिनांक : 07.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी को उनके पत्रांक 1904/2057 दिनांक 15.09.2020/21.09.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्री हनुमान सहाय जाट (RJ0640), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी।


सहायक रजिस्ट्रार